न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल
राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रकरण संख्या 12/14

तारीख रजू 20/05/2014

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर।
बनाम
–सायल(प्रार्थी)

हरि बाबू पुत्र श्री रोशन जाति कंजर उम्र 36 साल निवासी विनोबा बस्ती थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर
––गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय

दिनांक– 11/02/2017

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) हरि बाबू पुत्र श्री रोशन जाति कंजर उम्र 36 साल निवासी विनोबा बस्ती थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैर सायल (अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाईमाधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
1.	388/09	22/08/09	16/54 राज0एक्साईज एक्ट	273	31/08/09	सजा
2.	173/08	03/05/08	16/54 राज0एक्साईज एक्ट	119	17/05/08	सजा
3.	257/05	21/07/05	16/54 राज0एक्साईज एक्ट	197	25/07/05	सजा
4.	129/06	26/04/06	16/54 राज0एक्साईज एक्ट	104	17/05/06	सजा

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल आदतन शराब का अवैध विक्रय करने का आदि है तथा अबैध शराब के धन्धे में लिप्त रहकर स्थानीय भोले–भाले सीधे साधे लोगों को शराब बेचने एवं निर्माण करने के लिए उकसाकर अवैध शराब का कारोबार करता है तथा गैरसायल ने अवैध शराब के विक्रय को अपना धन्धा बना लिया है। गैरसायल बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है। गैरसायल बार–बार अपराध करने का आदि है व विधि के डर से बे–खोफ हो गया है। गैरसायल को अवैध शराब के कई प्रकरणों में अदालत द्वारा दोष सिद्व किया जा चुका है फिर अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रति,न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिषक व असालतन उपस्थित आया। गैरसायल हरि बाबू पुत्र श्री रोशन जाति कंजर उम्र 36 साल निवासी विनोबा बस्ती थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर द्वारा आरोप पत्र मे लगाये आरोपो का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य मे श्री रण विजय सिंह हाल डिप्टी एस0 पी0 जीआरपी सवाईमाधोपुर के बयान करवाये तथा गैरसायल को बचाव पक्ष की साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु काफी अवसर प्रदान करने के पश्चात् गैरसायल ने अवगत कराया कि वह उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक भावना से कराना चाहता है। अतः गैरसायल की और से साक्ष्य बचाव पक्ष बन्द की जाकर ।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गैरसायल की बहस सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल को पुलिस द्वारा चार बार 16/54 राज0 एक्साईज एक्ट के अर्न्तगत अपराध कारित करते हुए पकडे जाने पर बाद अनुसंधान आपराधिक अधिकारिता न्यायालय मे चालान पेश किया गया। समस्त प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को अपराध सिद्व ठहराये है एवम् स्वेच्छा से अपराध स्वीकारोक्ति कर लेने के कारण सुधारात्मक भावना को ध्यान मे रखते हुए अभियुक्त के विरूद्व नरमी का रूख अपनाया जाकर उसे अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। 16/54 राज0 एक्साईज एक्ट का उक्त अपराध समाज के लिए अभिशाप है जो जनहित के लिए हानिप्रद एवम् समाज मे दुष्प्रेरणा उत्पन्न करने व शांत वातावरण को प्रदूषित करने वाला है। गैर सायल 16/54 राज0 एक्साईज एक्ट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

के अन्तर्गत तीन बार दोषी पाये जाने पर गुण्डा की परिभाषा मे आता है। अतः गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्कासित किया जावे।

विद्वान वकील गेर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि गैर सायल उक्त प्रकरण का निस्तारण आज राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक भावना से करवाना चाहता है। पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गैर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। विद्वान वकील गैर सायल ने बहस मे यह भी तर्क दिया अप्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप बेबुनियाद है तथा तथ्यात्मक नहीं है बल्कि पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें बनाये जाने की श्रृखंला का एक हिस्सा है। गैरसायल को सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त तीन प्रकरण में लोकभावना को ध्यान में रखते हुए अर्थदण्ड से निस्तारित किए हुए है। सिर्फ जुर्म स्वीकार कर लेने से उक्त अपराध गंभीर अपराध की परिभाषा में नहीं माना जा सकता है। अतः गेर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 अन्तर्गत "गुण्डा" की श्रेणी मे नही आता है। उसके खिलाफ प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र मे कार्यवाही ड्राप की जावे।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभंति अवलोकन करने के पश्चात हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि गैर सायल के खिलाफ थाना कोतवाली में चार प्रकरण 16/54 राज0 एक्साईज एक्ट के अर्न्तगत पंजीबद्व हुए है तथा बाद अनुसंधान इन अपराधिक प्रकरणों में क्षेत्राधिक अधिकारिता न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा चार प्रकरणों में लोक भावना से अर्थदण्ड से गैरसायल को दण्डित किया गया है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण नियम, 1975 नियम 3 के उपनियम 2 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 3 के अर्न्तगत तभी कार्यवाही कर सकता है, जबकि उसे प्रतीत हो कि कोई व्यक्ति गुण्डा है या गुण्डा की श्रेणी में आता है, साथ ही जिस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की गई है वह अधिनियम की धारा 3 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के भीतर कम से कम तीन अवसरों पर अपराध कारित करते या कृत्य करते आवश्यक रूप से पाया गया हो। उक्त प्रकरण में गैरसायल 16/54 राज0 एक्साईज एक्ट के अर्न्तगत चार बार दोष सिद्ध पाया गया है ,लेकिन उक्त चारों प्रकरणों की जांच करने पर पाया गया कि गैर सायल द्वारा छः माह की अवधि के भीतर तीन अवसरों का दोष सिद्ध नहीं पाया जाता है। जबकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण नियम, 1975 नियम 3 के उपनियम 2 के अनुसार कम से कम छः माह में तीन बार अपराध कारित होने पर ही गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अर्न्तगत कार्यवाही की जा सकती है, साथ ही गैरसायल उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक भावना से राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहता है। अतः लोक भावना को मद्देनजर रखते हुए गैरसायाल को सुधरने हेतु एक अवसर और प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही ड्राप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

[illegible]
(सदस्य)

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला दण्डनायक,
सवाईमाधोपुर